कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता (जोन-प्रथम),
जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा

प0सं0 3430 /ई0ई0/क्षे0-I/13 दिनांक 31-12-13

मैसर्स भारत प्लम्बर्स,
14/16 दर्जीपाड़ा नाई की मंडी,
आगरा

विषयः <u>सीवर संयोजन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक सम्बन्ध में आपके द्वारा आवेदन पत्र कल्यानी अपार्टमेन्ट प्रा0 लि0, खसरा नं0 323, 326, 329, 330 दयालबाग रोड, वार्ड हरीपर्वत, आगरा स्थित अपार्टमेन्ट में , सीवर संयोजन हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 12,120.00 रसीद सं0 674/32, दिनॉक 06.12.2013 एवं विकास शुल्क रू0 4,63,850.00 का चैक सं0 714057 दि0 04.02.2013 रसीद संख्या 674/23 दिनांक 05.12.2013 जलकल विभाग में तथा रोड कटिंग रू0 **4,140.00./-** रसीद संख्या- 1850/89 दिनॉक 30.12.2013 .को नगर निगम, आगरा में जमा कर दिया गया है।

अतः 250एम.एम. **व्यास की सीवर पाइप लाइन का मिलान मेन सीवर लाइन 500 एम.एम. व्यास की सीवर लाइन में करने हेतु** अनुमति प्रदान की जाती है।

अधिशासी अभियन्ता (जोन-प्रथम),
जलकल विभाग, आगरा

प्रेषक:-

अधिशासी अभियन्ता "रा0",
जल संस्थान, आगरा।

सेवा में,

सहायक अभियन्ता (भवन),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

पत्रॉक: D/78 /अ0अ0"रा0"/जसंआ/एन.ओ.सी./07 दिनॉक: 16/06/2007

विषय:- **अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबध मे।**

महोदय,

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित अपने पत्र संख्या-253/बी.एफ.एच./5/07-08 दिनॉक 04.06.2007 का कृपया सन्दर्भ लें।

श्री अखिलेशधर पुत्र स्व0 श्री शान्तीप्रकाश गौड़ निवासी त्रिदेव कॉम्पलेक्स, दयालबाग रोड, आगरा व श्री विजयपाल सिंह राना पुत्र श्री रघुनाथ सिंह राना निवासी 412, नगला पृथ्वीनाथ, शाहगंज, आगरा द्वारा खसरा नं0 323 से 326, 329 एवं 330 मौजा मऊ मुस्तिकल आगरा की भूमि पर ग्रुप हाउसिंग कार्य हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के क्रम में, जो आगरा नगर निगम सीमा के अन्दर है, आगरा जल संस्थान द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है जिनके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त समझा जायेगा:-

1. सम्बन्धित क्षेत्र में आगरा जल संस्थान की वर्तमान में जलापूर्ति एवं सीवर की व्यवस्था न होने के कारण भविष्य में उक्त क्षेत्र में जलापूर्ति एवं सीवर के लिये पाइप लाइन आदि बिछाये जाने व पानी की आवश्यक व्यवस्था के कार्यो हेतु आवश्यक विकास शुल्क/अनुपातिक व्यय आगरा जल संस्थान, आगरा में जमा कराया जायेगा जो उक्त भू-स्वामी द्वारा देय होगा।
2. अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल प्रस्तावित भूमि पर केवल ग्रुप हाउसिंग निर्माण के लिये ही निर्गत किया जा रहा है। इस कार्य के अतिरिक्त यदि भूमि अन्य प्रयोजन में ली जाती है तो पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
3. प्रस्तावित भूखण्डीय विकास हेतु आवश्यक जलापूर्ति एवं ड्रेनेज तथा सीवरेज निस्तारण हेतु जल संस्थान द्वारा कोई व्यवस्था/सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी एवं यह व्यवस्था मानचित्र प्रस्तोता को स्वयं अपने व्यय व स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुरूप करनी पड़ेगी जिसके संचालन एवं रख-रखाव का दायित्व भी उसी का होगा।
4. सीवर की व्यवस्था के लिए उचित सीवर शोधन एव उसके निस्तारण हेतु पर्यावरण को दृष्टिकोण में रखते हुए वैज्ञानिक रूप से निस्तारण कराना होगा।
5. सम्बन्धित क्षेत्र में यदि भविष्य में सीवर लाइन डाली जाती है तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति एवं सीवर संयोजन हेतु निर्धारित देयों का जल संस्थान को भुगतान करने पर ही दिया जा सकेगा।
6. सम्बन्धित क्षेत्र में पाइप लाइन न होने के कारण भविष्य में पाइप लाइन डाली जाती है तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति एवं जल संयोजन हेतु निर्धारित देयों का जल संस्थान को भुगतान करने पर ही दिया जा सकेगा।
7. सम्बन्धित क्षेत्र हेतु जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था हेतु किये जाने वाले कार्यो पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित विकास शुल्क/अनुपातिक व्यय का भुगतान करना होगा।

8. भविष्य में जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने पर भू–स्वामी / भूमि का उपयोग करने वाले व्यक्ति / फर्म को जल संयोजन एवं सीवर संयोजन के लिये जल संस्थान के समक्ष प्रथक से आवेदन कराना होगा और उस पर नियमानुसार देय भुगतान करने के उपरांत ही जल संयोजन एवं सीवर संयोजन की सुविधा उपलब्ध कराने एवं भविष्य में नियमित रूप से भुगतान करने की वचनबद्धता का अनुपालन कराने पर ही अनुमन्य होगा, जिसके लिये शपथपत्र दिया जाना होगा।

9. प्रस्तुत आवासीय लेआउट में आन्तरिक जलापूर्ति व्यवस्था के लिये मानचित्र प्रस्तुतकर्ता को जल स्त्रोत एवं जल वितरण प्रणाली मानकों के अनुरूप तैयार करनी होगी तथा आंतरिक सीवर व्यवस्था के लिये सीवर लाइनों एवं सीवर निस्तारण की व्यवस्था भी मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करनी होगी। जिसके अन्तर्गत मानचित्र प्रस्तुतकर्ता द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार कार्य कराना होगा :–

अ. 150 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक दिन की पानी की न्यूनतम स्टोरेज क्षमता होनी चाहिए।

ब. किसी भी आवासीय कालोनी की जलापूर्ति हेतु मानकों के अनुरूप आई.एस.आई. पाइप साइज 100 एम.एम व्यास से तथा उसकी क्षमता प्रेसर 4 Kg^2 सेंमी से कम नहीं होना चाहिए।

स. किसी भी आवासीय कालोनी के लिये मानकों के अनुरूप सीवर लाइन 9'' इंच व्यास से कम नहीं होनी चाहिए।

द. अग्निशमन के लिये पर्याप्त क्षमता का स्टैटिक टैंक का निर्माण अवश्य किया जाये।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 16/6/07

अधिशासी अभियन्ता ''रा0'',
जल संस्थान, आगरा

पृ.सं. एवं दिनॉक:– / तदैव /

प्रतिलिपि:–

1. श्री अखिलेशधर पुत्र स्व0 श्री शान्तीप्रकाश गौर निवासी त्रिदेव कॉम्पलेक्स, दयालबाग रोड, आगरा व श्री विजयपाल सिंह राना पुत्र श्री रघुनाथ सिंह राना निवासी 412, नगला पृथ्वीनाथ, शाहगंज, आगरा।

अधिशासी अभियन्ता ''रा0''